

प्रमाण-पत्रों का प्रारूप (Format of Certificates)

(नीचे दिये गये प्रारूपों में ही सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर तथा स्पष्ट सील के साथ काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा)

प्रमाण-पत्र नं. 1 (UPPR)

(उ.प्र. में निवास का प्रमाण-पत्र)

(केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने हाईस्कूल तथा अर्हता परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण न की हो)

मैंने आवश्यक लिखित साक्ष्य की जांच कर ली है और/अथवा मुझे इस तथ्य का व्यक्तिगत ज्ञान है कि अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पुत्री श्री उत्तर प्रदेश में मूल निवासी की परिभाषा जो नीचे निर्धारित टिप्पणी में दी गयी है परिभाषा सं.....को पूर्ण करता है अथवा वह उक्त टिप्पणी में दिये गये अपवाद संख्या..... के अन्तर्गत आता है।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर.....
दिनांक

हस्ताक्षर.....
पूरा नाम
पदनाम तथा सील.....
(उत्तर प्रदेश में सेवारत प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट)

टिप्पणी :

1. उत्तर प्रदेश के मूल निवासी की परिभाषा

(क) भारत का नागरिक जिसके पिता का निवास स्थान अथवा मूल स्थान उत्तर प्रदेश में है और जो स्वयं भी उत्तर प्रदेश का निवासी है।

अथवा

(ख) भारत का नागरिक जिसके पिता का निवास स्थान अथवा मूल स्थान उत्तर प्रदेश में नहीं था किन्तु जिसने अथवा जिसके पिता ने उत्तर प्रदेश में निवास का अधिग्रहण कर लिया है, परन्तु इस प्रकार के अधिग्रहण के पश्चात् इस आवेदन-पत्र के देने की तिथि तक उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थी के निवास की अवधि तीन वर्ष से कम नहीं है।

अथवा

(ग) उत्तर प्रदेश में सेवारत (सेवायोजक का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है) भारत सरकार के सिविल अथवा सैन्य सेवा के कर्मचारियों अथवा भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स, इण्डियन ड्रग एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, जैसे निजी अथवा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के पोष्य (वार्ड) के लिए शर्त यह है कि ऐसा अभ्यर्थी उपयुक्त मूल्य के स्टैम्प पेपर पर उक्त आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा। इस शपथ-पत्र में इस आशय की भी शपथ होनी चाहिए कि अखिल भारतीय स्तर पर किये गये चयन से प्रवेश देने वाले मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर वह उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी नहीं है।

अथवा

(घ) विदेश में प्रवास करने वाला भारतीय मूल का वह व्यक्ति जिसके पूर्वज उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे।

2. अपवाद : अपेक्षित प्रमाण-पत्र संलग्न करने पर सी.पी.एम.टी. में प्रवेश परीक्षा के लिए अनुमन्य होगा

(i) उत्तर प्रदेश में पंजीकृत विस्थापित विद्यार्थी (सम्बद्ध जिले के जिलाधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)।

(ii) उत्तर प्रदेश में सेवारत भारत सरकार के कर्मचारियों के पोष्य (सेवायोजक का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)।

(iii) देश के किसी भी भाग में सेवारत भारत सरकार के सुरक्षा बलों के कर्मचारियों के ऐसे पोष्य जिन्होंने अपनी अर्हता परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की है (सेवायोजक का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)।

(iv) अन्य देशों से उत्तर प्रदेश में प्रत्यर्पित भारतीय राष्ट्रीय की संताने (उत्तर प्रदेश के सम्बद्ध जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य है)।

प्रमाण-पत्र

मैंने आवश्यक साक्ष्यों की जांच कर ली है और मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
श्री..... के पुत्र/पुत्री हैं, जो..... (देश का नाम) से प्रत्यर्पित भारतीय राष्ट्रीय हैं।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर
दिनांक

जिलाधिकारी के हस्ताक्षर
जिलाधिकारी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
सील

प्रमाण-पत्र नं. 2
उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप (UPOBC)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पुत्री/श्री..... निवासी
ग्राम तहसील..... नगर..... जिला..... उत्तर प्रदेश
राज्य की..... पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों
तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... उक्त अधिनियम 1994 की अनुसूची-दो (अधिसूचना
संख्या- 22/16/12 का-02/1995 टी.सी. दिनांक 8 दिसम्बर, 1995 द्वारा यथा संशोधित) से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम.....
नगर जिला..... में सामान्यतः रहता है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम

पद नाम तथा सील.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/

सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

NOTE: This certificate will be acceptable only if it is issued after March 31st, 2013 Profoma of certificate shall change according to latest Govt. order.

नोट : मार्च 31, 2013 के बाद जारी प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। प्रमाण-पत्र का प्रारूप, शासन के अध्यक्ष आदेश के अनुसार होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों की सूची

- | | | |
|--|--|--|
| 1. अहीर, यादव, ग्वाला, यदुवंशीय | 29. नायक | 57. धोबी (जो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियां गंधी, अर्राक की श्रेणी में सम्मिलित न हों) |
| 2. टरख, अर्कवंशीय | 30. फकीर | 58. कतेरा, ठठेरा, ताम्रकार |
| 3. काछी, काछी कुशवाहा, शाक्य | 31. बंजारा, रन्की, मुकेरी, मुकोरानी | 59. नानबाई |
| 4. कहार, कश्यप | 32. बढई, शैफी, विश्वकर्मा, पांचाल, रमगढिया, जागिड, धीमान | 60. मैर शिकार |
| 5. केवट या मल्लाह, निषाद | 33. बरी | 61. शेख, सरबरी (पिराई) पीराही |
| 6. थकसान | 34. बैरानी | 62. मेद, मेवाती |
| 7. कोइरी | 35. बिन्द | 63. कोष्टा/कष्टी |
| 8. कुम्हार, प्रजापति | 36. बियार | 64. रोड |
| 9. कुर्मी, चनऊ, पटेल, पटनवार, कुर्मी-मल्ल, कुर्मी सैथवार | 37. भर, राजभर | 65. खुमरा, संगत राम, हसीरी |
| 10. कम्बोज | 38. भुर्जी, भड्भेजा, भूज, कशोधन | 66. मोर्चा |
| 11. कसंगर | 39. भठियारा | 67. खागी |
| 12. कुजड़ा या राईन | 40. माली, सैनी | 68. तंवर सिंघाड़िया |
| 13. गोसाई | 41. मनिहार, कचेर, लसैरा | 69. कतुआ |
| 14. गूजर | 42. मुराव या मुराई, मौर्य | 70. महीगीर |
| 15. गड़ेरिया, पाल, और बघेल | 43. मोमिन अंसार | 71. छांगी |
| 16. गद्दी, घोशी | 44. भिरासी | 72. धाकड़ |
| 17. थगरि | 45. मुस्लिम कायस्थ | 73. गाड़ा |
| 18. चिकवा (कस्सवा) कुरैशी, चक | 46. मारछा | 74. तंतवा |
| 19. छीपी, छीपा | 47. रंगरेज, रंगवा | 75. जोरिया |
| 20. जेगी | 48. लोधी, लोधा, लौधी, लोटा, लोधी-राजपूत | 76. पटवा, पटहारा, पटेहरा, देववंशी |
| 21. झोजा | 49. लोहार, शैफी | 77. जाट |
| 22. डफाली | 50. लोनिया, नोनिया, गोले-ठाकुर, लोनिया-चौहान | 78. कलाल, कलवार, कलार |
| 23. तमोली, बरई, चौरसिया | 51. सोनार, सुनार, स्वर्णकार | 79. नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी, कन्डरे, कडरेकिरण (कर्ण) |
| 24. तेली, सामानी, रोगनगर, साहु, सैनियार | 52. स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणियों में सम्मिलित न हो), हलालखोर | नोट : उपरोक्त का सत्यापन शासन के निर्देश से कर लिया जाय। |
| 25. दर्जी, इदरीसी, काकतस्था | 53. हलवाई मोदनवाल | |
| 26. धीवर | 54. हज्जाम, नाई, सलवानी, सबिता, श्रीवास | |
| 27. नक्काल | 55. रायसिख | |
| 28. नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो) | 56. सक्का भिस्ती, भिस्ती अब्बासी | |

प्रमाण-पत्र नं. 3
विकलांग अभ्यर्थी के लिए विकलांगता प्रमाण-पत्र का प्रारूप (UPPH)

संख्या दिनांक.....
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... सी.पी.एम.टी.-2013अनुक्रमांक*
पुत्र/पुत्री श्रीसी.पी.एम.टी. के माध्यम से प्रवेश हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुसार विकलांग श्रेणी में आते/आती हैं,
कि एम.सी.आई. के पत्र सं.-एम.सी. आई.-34(1)/2009-मेड/02569, दिनांक 21.04.2009 के अनुसार श्री/श्रीमती/ कुमारी.....
की सिर्फ लोवर लिम्ब की विकलांगता 50% से 70%** अथवा 40% से 50%** के मध्य है तथा अन्य किसी भी अंग में अपंगता नहीं है तथा
वह चिकित्सा शिक्षा ग्रहण करने योग्य हैं।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर.....
एवं फोटोग्राफ

अध्यक्ष विशेष बोर्ड के हस्ताक्षर एवं सील

प्रति हस्ताक्षरित
मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर एवं सील

* कृपया प्रवेश पत्र से अनुक्रमांक व फोटो का मिलान करके ही प्रमाण-पत्र जारी करें।

** नोट:- जो लागू न हो उसे काट दिया जाय। यदि बोर्ड की राय में विकलांगता इस सीमा तक हो कि अभ्यर्थी चिकित्सा शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है तब ऐसे अभ्यर्थी को विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी न किया जाये।

प्रमाण-पत्र नं. 4
(उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप)
(UPSC/UPST)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीनिवासी ग्राम..... तहसील.....
.....नगर.....जिला..... उत्तर प्रदेश राज्य की..... जाति के व्यक्ति हैं,
जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ (संविधान) अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश (आदेश),
1987 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश केग्राम.....
तहसील.....नगर..... जिला.....में सामान्यतया रहता है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर.....
पूरा नाम
पदनाम तथा सील
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट /परगना
मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई
हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों/जन जातियों की सूची

- | | | | |
|--------------|--------------------------------|------------|------------------------------|
| 1. अगरीया | 15. बरवार | 29. धरकार | 43. कबडिया |
| 2. बधिक | 16. बसोड़ | 30. धोबी | 44. करबल |
| 3. वदी | 17. बयरिया | 31. डोम | 45. खरैता |
| 4. बहेलिया | 18. बेलदार | 32. डोमर | 46. खरबार (बनवासी को छोड़कर) |
| 5. बैगा | 19. बेड़िया | 33. दुसाध | 47. खटिक |
| 6. बैसवार | 20. भ्रांतु | 34. धरमी | 48. खरोट |
| 7. बजनिया | 21. भुइया | 35. धसिया | 49. कोल |
| 8. बजगी | 22. बोरिया | 36. गोंड | 50. कोरी |
| 9. बलहर | 23. भदयार | 37. ग्वाल | 51. कोरवा |
| 10. बलई | 24. चमार, झूसिया, धुसिया, जाटव | 38. हबुड़ा | 52. ललबेगी |
| 11. बाल्मीकि | 25. नेरो | 39. केली | 53. मझवार |
| 12. बंगाली | 26. छबगर | 40. केला | 54. मजहबी |
| 13. बनमानुश | 27. धांगर | 41. कलाबाज | 55. मुसहर |
| 14. बांसफोर | 28. धानुक | 42. कंजड़ | 56. नट |

57. पंखा
58. पहरिया
59. पसी, तरमाली
60. पतरी
61. श्रावत
62. सहरिया
63. सनोरिया
64. सांसिया
65. शिल्पकार
66. तुरैहा

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों की सूची

1. थारू
 2. बेनस
 3. भोटिया
 4. श्राजी
 5. जौनसारी
- शासनादेश संख्या-111 भा. स. / 26.03.2003(7) / 2003 दिनांक 3.07.2003 के द्वारा भारत सरकार ने अनुसूचित

जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किया है:-

6. गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पटारी, राजगोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपदों में)
7. खरवार, खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र जनपदों में)

8. सहरिया (ललितपुर जिले में)
9. परहिया (सोनभद्र जिले में)
10. बैगा (सोनभद्र जिले में)
11. पंखा, पनिका (सोनभद्र एवं मिर्जापुर में)
12. अगरिया (सोनभद्र जनपद में)
13. पटारी (सोनभद्र जनपद में)
14. चैरो (सोनभद्र एवं वाराणसी जनपद में)
15. भुइया, भुनिया (सोनभद्र जनपद में)

नोट : जो व्यक्ति हिन्दू धर्म से किसी भिन्न धर्म को मानता है वह उत्तर प्रदेश में जैसा कि उपयुक्त सूची में उल्लिखित है, अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जायेगा। विधायी अनुभाग-1 अधिसूचना पत्र दिनांक 06.06.2002 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश-2002 एवं अधिसूचना पत्र दिनांक 25.06.2002 द्वारा प्रख्यापित (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश-2002 के अनुसार आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

प्रमाण-पत्र नं. 5

(अन्य राज्य/संघशासित क्षेत्र से उ.प्र. में प्रवासित होकर आये अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार द्वारा अपने दावे के समर्थन में पेश किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म)
जाति के प्रमाण-पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पुत्री..... निवासी
..... गांव/शहर..... जिला/मंडल..... राज्य/संघ शासित क्षेत्र का
अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है जो निम्नलिखित आदेश के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति घोषित की गई है।

- | | |
|---|---|
| 1. संविधान (अनुसूचित जातियों) आदेश, 1950 | 6. संविधान (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजातियों, आदेश, 1959 |
| 2. संविधान (अनुसूचित जनजातियों) आदेश, 1950 | 7. संविधान (दादर व नगर हवेली) अनुसूचित जनजातियों, आदेश, 1962 |
| 3. संविधान (अनुसूचित जातियों) संघ शासित क्षेत्र आदेश, 1950 | 8. संविधान (दादर व नगर हवेली) अनुसूचित जातियों, आदेश, 1962 |
| 4. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियाँ सूची (संशोधन आदेश, 1956 बंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम-1970 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम-1971 तथा अनुसूचित जाति जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम-1976 (द्वारा यथा संशोधन)। | 9. संविधान (पाण्डिचेरी) अनुसूचित जातियों, आदेश, 1964 |
| 5. संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जातियों, आदेश, 1956 | 10. संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) उत्तर प्रदेश आदेश, 1967 |
| | 11. संविधान (गोवा दमन तथा द्वीप) अनुसूचित जातियों आदेश, 1968 |
| | 12. संविधान (गोवा दमन तथा द्वीप) अनुसूचित जनजातियाँ आदेश, 1960 |
| | 13. संविधान (नागा) अनुसूचित जाति आदेश, 1970 |

यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी.....को उसके पिता/माताश्री/श्रीमती..... निवासी
ग्राम/शहर.....जिला/मंडल.....राज्य/संघ शासित क्षेत्र.....को दिये गये
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया है जो..... जाति/जनजाति के हैं
..... जिसे राज्य/संघ शासित क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....द्वारा अपने पत्र संख्या.....दिनांक.....के अंतर्गत जारी किया गया।
(निर्धारित प्राधिकारी का नाम)

स्थान जिलाधिकारी के हस्ताक्षर.....
राज्य/संघ शासित क्षेत्र..... पद
दिनांक मोहर

कृपया राष्ट्रपति के सम्बन्धित आदेश का उल्लेख करें।

नोट:- यह प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। यह प्रमाण पत्र भारत सरकार, गृह मन्त्रालय के पत्र संख्या-वी.सी.16014/1-82 एस.सी. एण्ड वी.सी.डी.-1 नई दिल्ली दिनांक 18-25 नवम्बर 1982 के निदेशानुसार जारी किया जाये।

प्रमाण-पत्र नं. 6 (UPFF)
(स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....निवासी.....ग्राम.....तहसील.....
.....नगर.....जिला.....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित
और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी आश्रित.....
पुत्र/पुत्री/पौत्र अविवाहित पौत्री उपरांकित अधिनियम 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)..... के
आश्रित हैं।

स्थान
दिनांक.....

हस्ताक्षर.....
पूरा नाम.....
पद नाम.....
मोहर
जिलाधिकारी

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर

प्रमाण-पत्र नं. 7
उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक (UPES)
(अन्तिम यूनिट के आफिसर कमान्डिंग द्वारा प्रमाणित)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....निवासी.....ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारतीय.....
.....सेना में अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक.....को सेवा निवृत्त हुए हैं या थे/ भारतीय सेना की सक्रिय सेवा
काल में कर्तव्यों के निर्वहन के लिए युद्ध में आहत/युद्ध में अपंग होने के कारण वीरगति/अक्षमता प्राप्त की थी। वीरगति/अक्षमता प्राप्त करने से
पूर्व श्री..... भारतीय.....सेना की यूनिट.....में नियुक्त थे।

दिनांक.....सेना की संबंधित यूनिट के अधिकारी के हस्ताक्षर तथा सील
अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षरदिनांक

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी.....निवासी.....
उपरोक्त श्री.....के पुत्र/पुत्री हैं।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर

दिनांक

जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर तथा सील

युद्ध में शहीद/युद्ध में अपंग सैनिक का नाम

युद्ध में शहीद/युद्ध में अपंग सैनिक का स्थायी पता

थल/नभ/जल जो उपयुक्त हो, अभ्यर्थी का नाम

यूनिट की संख्या व पता

प्रमाण-पत्र नं. 8 (UPNC)
राष्ट्रीय कैडेट कोर/NATIONAL CADET CORPS
प्रमाण-पत्र "सी"/CERTIFICATE C"

सं./No.....रैंक/Rank

नाम/Nameसुपुत्र/सुपुत्री/Son/Daughter of.....

यूनिट/Unit

NCC Directorate (राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय).....प्रमाणित

किया जाता है कि ऊपर लिखित कैडेट ने रक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन सन्.....में हुई प्रमाणपत्र 'सी' परीक्षा
'बी' श्रेणी में पास कर ली है।

This is to certify that the above mentioned Cadet has passed the Certificate 'C' Examination in 'B' Grade held in
year.....under the authority of Ministry of Defence, Government of India.

क्र. सं./Sr. No.

स्थान/Place.....

दिनांक/Date.....

Brigadier

Dy DG NCC DTE (UP&UA) Lucknow

उप महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर

Dy. Director General, National Cadet Corps